यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 2008 Certified

संख्याः C-1064/यूजेवीएनलि/05/नि0(मा0स0)/उमप्र(कार्मिक)/अनु–1/ दिनांक 31.12.21

विषयः–यूजेवीएन लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षित किये जा चुके है, को मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2021 से लागू दरें ।

समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त उपमहाप्रबन्धक,
यूजेवीएन लि0 ।

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संख्या–342(1)/xxvii(7)02/2016 दिनांक 29–12–2021 , **शासनादेश संख्या**–1199/ I(2)/2017–05–34/2016 दिनांक 25–09–2017 के अनुपालन में एवं यूजेवीएन लि0, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–9042–यूजेवीएनलि/05/कार्मिक/अनु0– III/7–ए दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के अनुक्रम में दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में यूजेवीएनलि0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को **दिनांक 01.07.2021 से** निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2021	मूल वेतन का 31 प्रतिशत

1– इस आदेश में स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01–01–2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9(2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/ वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जायेगा।

2. ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक अवशेष (एरियर) धनराशि का 12 प्रतिशत ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा
3. दिनांक 01.07.2021 से 30.11.2021 तक की अवधि के मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01.12.2021 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।
4. अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (डयूटी पीरिएड) के लिए माना जाता है।

कमशः.......2/–

5– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि की गणनाक्रम में निकटतम एक रूपये तक पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

6– उक्त आदेशानुसार स्वीकृत बढ़े हुये मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उपमुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नही है।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष,यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

2– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक,यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

3– निदेशक(परियोजनाऐं)/(परिचालन)/(वित्त)/(मा0सं0),यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

4– अधिशासी निदेशक(जानपद)/(वित्त)/(वि0/यांत्रिक)/(मा0सं0), यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

5– उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0),यूजेवीएन लि0,देहरादून को निगम की वैबसाईट शीर्षक **"NIGAM's ORDERS-HR"** पर अपलोड़ किये जाने हेतु ।

6– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

(आशिष कुमार जैन)
महाप्रबन्धक(का0 एवं औ0सं0)
अतिरिक्त प्रभार उपमहाप्रबन्धक(कार्मिक)

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्याः C-1045/यूजेवीएनलि/05/नि0(मा0स0)/उमप्र(कार्मिक)/अनु-1/ दिनांक 31.12.21

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– यूजेवीएन लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति ।

दिनांक 01, जनवरी, 2016 से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक निगमादेश संख्या 9043/यूजेवीएनलि0/05/कार्मिक/अनु0-I/7-ए दिनांक 28 नवम्बर, 2017 एवं संख्या सी-1569/यूजेवीएनलि0 /05/कार्मिक/अनु-1 दिनांक 08.03.2019, जिसके अनुसार दिनांक **दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 28 प्रतिशत** की दर से महंगाई राहत अनुमन्य थी, के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक- आदेश संख्या- 325/xxvii (7) 02/2016 दिनांक 29.12.2021 की अनुरूपता में, ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें यूजेवीएन लि0 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को **दिनांक 01 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत** की दर से महंगाई राहत दिये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– उक्त देय महंगाई राहत का भुगतान यूजेवीएन लि0 के संबंधित पेंशन खण्डों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-449 दिनांक 09-03-2004 की अनुरूपता में संबंधित कोषागारों के माध्यम से किया जायेगा। जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पी0पी0ओ0 कोषागारों को प्रेषित किये जा चुके है उन्हें पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

2– महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

3– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में रांउड कर दिया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः– /यूजेवीएनलि/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लि0, देहरादून ।
2– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून ।
3– निदेशक(परियोजनाऐं)/(परिचालन)/(वित्त)/(मा0सं0),यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
4– अधिशासी निदेशक(जानपद)/(वित्त)/(वि0/यांत्रिक)/(मा0सं0), यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
5– निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून ।
6– समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लि0 ।
7– समस्त उपमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लि0 ।
8– उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लि0,देहरादून को निगम की वैबसाईट शीर्षक "NIGAM's ORDERS-HR" पर अपलोड़ किये जाने हेतु ।
9– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि0, देहरादून ।
10– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 84/1, बंसत विहार, देहरादून ।
11– उत्तरांचल विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, हरबर्टपुर ।

(आशिष कुमार जैन)
महाप्रबन्धक(का0 एवं औ0सं0)
अतिरिक्त प्रभार उपमहाप्रबन्धक(कार्मिक)